राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / टी.ए. / 5579 / 2002 / झुंझुनूं

1. रामकुमार पुत्र रामेश्वर
2. मनीराम पुत्र रामेश्वर
3. बलाराम पुत्र रामेश्वर
4. प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वर
5. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
6. सवाईसिंह पुत्र रामेश्वर (मृतक जरिये वारिसान)–

6 / 1. अणची देवी बेवा सवाईसिंह
6 / 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र सवाईसिंह
6 / 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सवाईसिंह
समस्त जाति माली निवासी निजामपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं

6 / 4. सरोज पुत्री सवाईसिंह पत्नी विजय कुमार
6 / 5. ललिता पुत्री सवाईसिंह पत्नी रामजीलाल
समस्त जाति माली निवासी भानावाला कुंआ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू

6 / 7. सुमन पुत्री सवाईसिंह पत्नी पंकज कुमार
6 / 8. सुनीता पुत्री सवाईसिंह पत्नी मनोज कुमार
समस्त जाति माली निवासी कटकिया मोहल्ला गौशाला रोड वार्ड नंबर 12 चिडावा जिला झुंझूनू

7. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
8. शेरसिंह पुत्र रामेश्वर
9. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
समस्त जाति माली निवासी निजामपुरा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं

10. श्रीमती संतोष पुत्री रामेश्वर पत्नी श्रवण कुमार जाति माली निवासी लाम्बा गोठडा तहसील चिडावा जिला झुंझूनू
11. श्रीमती संतरा पुत्री रामेश्वर पत्नी नानूराम जाति माली निवासी कंचनियों की ढाणी तन खेतडी जिला झुंझूनूं

....अपीलांट्स

बनाम

1. पुष्करलाल पुत्र श्योप्यारमल
2. सुशील कुमार पुत्र श्योप्यारमल
समस्त जाति महाजन निवासी चिडावा पुरानी बस्ती तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल

4. विनोद कुमार पुत्र मोहनलाल (मृतक) जरिये वारिसान
4/1. विजय कुमार पुत्र विनोद कुमार
4/2. संजय कुमार पुत्र विनोद कुमार
5. कृष्ण कुमार पुत्र मोहनलाल दत्तक पुत्र द्वारकाप्रसाद
समस्त जाति महाजन निवासी पुरानी बस्ती तहसील चिडावा
जिला झुंझुनू

...रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
श्री राकेश अरोडा, श्री हगामीलाल एवं
श्री विजेन्द्र डिढारिया अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक :10.08.2018**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर केम्प झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 41/02 में दिनांक 26–9–2002 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम निजामपुर तहसील चिडावा में स्थित है, जिस पर भूमि अपीलांट्स के पिता रामेश्वर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से भी कई वर्षो पूर्व से खातेदार की हैसियत से काश्त करते आ रहे थे और आज अपीलांट्स उक्त भूमि पर रिकार्डेड खातेदार दर्ज होकर काश्त कर रहे हैं। अपीलांट्स के पिता रामेश्वर ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु एक नियमित वाद संख्या 90/91 उनवानी रामेश्वर बनाम बाबूलाल आदि सहायक कलक्टर, झुंझुनू के न्यायालय में पेश किया था, जिसके सम्मन प्रतिवादीगण पुष्करलाल आदि पर विधिवत रूप से तामील हो जाने के बाद एवं उनके द्वारा सम्मन लेने से इंकार कर दिये जाने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। तत्पश्चात् दिनांक

13–5–91 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया था, जिसकी जानकारी शुरू से ही प्रतिवादीगण को थी किन्तु उन्होंने दिनांक 26–9–2002 को विधि विरूद्ध रूप से एक आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत पेश किया था। उस समय तक प्रार्थी संख्या 3 मनोहरलाल (अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता) का स्वर्गवास दिनांक 31–5–2001 को हो गया था, जिसके वारिसान को नियत 90 दिन के अन्तर्गत रिकार्ड पर लेने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण विद्वान सहायक कलक्टर, झुंझुनू ने प्रार्थना पत्र को अबेट होना मानकर दिनांक 9–4–02 को खारिज कर दिया था, जिसे अपील के माध्यम से विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया है। प्रतिवादीगण ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र डिक्री जारी होने के 1 वर्ष 2 माह बाद पेश किया था, जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया था। इस कारण आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र मेन्टेनेबल नहीं था। आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. देरी से प्रस्तुत करने का यह आधार प्रतिवादीगण ने बताया था कि दिनांक 27–7–92 को पुष्करलाल अपनी आराजी पर गया तब रामेश्वर ने कहा कि उसके पक्ष में दिनांक 13–5–91 को निर्णय पारित हो चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स ने यह स्पष्ट किया था कि दिनांक 27–7–92 को पुष्करलाल वादग्रस्त भूमि पर आया ही नहीं था और ना ही रामेश्वर से उसकी कोई बातचीत हुई। असल में वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से अपीलांट्स अपने पूर्वज रामेश्वर के समय से बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसकी ताईद में वादीगण ने इसी भूमि बाबत वादी मनोहरलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व वाद संख्या 74/93 में प्रतिवादी पुष्करलाल की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा की प्रति पेश की थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है और उनकी खातेदारी निरस्त कर दी जाये तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इससे वादीगण का वाद पूर्णतया साबित था। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र अबेट हो जाने संबंधी कोई फाइन्डिंग प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नहीं दी। इसके अलावा मियाद के बिन्दु पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया, जबकि विधिक स्थिति स्पष्ट है कि यदि कोई आवेदन पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत होता है तो पहले मियाद का बिन्दु तय करना चाहिए। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि बाबत

राजस्व वाद पुष्करलाल व 18 अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था, जिन्हें रेस्पोडेन्ट्स ने अपने आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में पक्षकार ही नहीं बनाया। अतः निवेदन किया गया कि दिनांक 26–9–2002 का राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय अपास्त किया जाए।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की दलील है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र सही रूप से खारिज किया था क्योंकि आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्र में आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान का उल्लेख किया था, जबकि वादी अथवा प्रार्थी के फौत होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब में इस आशय की आपत्ति लिये जाने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र में कोई संशोधन नहीं किया गया। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर न होकर किसी अन्य अभिभाषक के हस्ताक्षर किये गये थे तथा उस अभिभाषक का वकालतनामा पत्रावली पर नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन तीनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र अबेट होना मानकर सही रूप से खारिज किया था किन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर ना केवल विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त कर दिया बल्कि आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र गुणावगुण पर भी निर्णित कर दिया, जिससे वादीगण के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र स्पष्टतया मियाद बाहर था जिसे माफ करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। जो तथ्य दिनांक 13–5–91 के निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये थे, वे सब बनावटी थे क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से रामेश्वर बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है तथा प्रार्थी/प्रतिवादीगण का उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं था। इस प्रकार आक्षेपित आदेश दिनांक 26–9–2002 अवैधानिक होने के कारण अपास्त किया

जाये तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 9–4–2002 बहाल रखा जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त दलीलों का पुरजोर विरोध किया उनका कहना है कि विचारण न्यायालय ने तकनीकी आधार पर आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र खारिज किया था किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपील सही रूप से स्वीकार की थी। चूंकि मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित है इसलिए तकनीकी आधारों पर आवेदन पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं पाया गया था। इन परिस्थितियों में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक व विधिक भूल नहीं की है। अपील खारिज की जाए तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड करने का आदेश बहाल रखा जाए।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 9–4–2002 को आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र को निम्न आधारों पर अबेट करने के आदेश दिये हैं–

(1) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रतिवादी के फोत होने की स्थिति में प्रस्तुत होता है। वादी या प्रार्थी के फोत होने की स्थिति में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पेश करना चाहिए था। इस आशय की आपत्ति अप्रार्थीगण की ओर से पेश होने पर भी प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में संशोधन नहीं किया।

(2) आवेदन पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिस अधिवक्ता ने उस दरख्वास्त पर हस्ताक्षर किये, उनका वकालतनामा पत्रावली पर नहीं है।

(3) दरख्वास्त विधि मान्य प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तुत हुई है। मृतक की मृत्यु हुए 90 दिन से अधिक अवधि हो चुकी है। अतः आवेदन पत्र अबेट हो गया है।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारणों एवं विधिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश को उचित नहीं पाया था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने

आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया है कि केवलमात्र आवेदन पत्र में गलत प्रावधान का उल्लेख कर देने से आवेदन पत्र को खारिज करना उचित नहीं है। इसके अलावा आवेदन पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर ना होने से भी गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता क्योंकि आवेदन पत्र पर स्वयं प्रार्थी पुष्करलाल के हस्ताक्षर हैं एवं उसने अपना शपथ पत्र भी आवेदन पत्र की पुष्टि में पेश किया है। जहां तक मियाद का प्रश्न है, इस बारे में भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र दिनांक 31–8–2001 को पेश हो गया था, जो कि समयावधि में था। इस प्रकार विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदन पत्र को अबेट करने के आदेश को सही नहीं माना था। तत्पश्चात् उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र यह कहते हुए स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अविधिक रूप से अमल में लायी गई थी। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों एवं आदेश 5 नियम 17 से 20 सी.पी.सी. के प्रावधानों की रोशनी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को भी काफी महत्वपूर्ण माना कि दिनांक 10–5–91 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश देने के बाद 3 दिवस के भीतर वाद निर्णित कर देना भी उचित नहीं था। चूंकि मामला अचल सम्पत्ति से संबंधित है तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करने में जिस न्यायिक विवेक का प्रयोग किया है, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

9. लिहाजा यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(वी0श्रीनिवास)
अध्यक्ष